

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

पत्रांक:— सं०सं०-03/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति)-02/2015...../

पटना, दिनांक.....

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),

बिहार, पटना।

विषय :— औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत वैट/प्रवेश कर एवं जी० एस० टी० की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में पुर्नविनियोग द्वारा उपबंधित तृतीय अतिरिक्त राशि कुल ₹26,50,50,000.00 (छब्बीस करोड पचास लाख पचास हजार)मात्र की सब्सिडी के व्यय एवं निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :—स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक राज्यादेश संख्या-1015, दिनांक-14.03.2018 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत वैट/प्रवेश कर एवं जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में पुर्नविनियोग द्वारा उपबंधित तृतीय अतिरिक्त राशि कुल ₹26,50,50,000.00 (छब्बीस करोड पचास लाख पचास हजार) मात्र की सब्सिडी के व्यय एवं निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह एक चालू योजना है। उपलब्ध करायी गयी राशि का 5 प्रतिशत राशि महिला उद्यमियों को प्राथमिकता के आधार पर व्यय की जायेगी।

3. इस योजना के अंतर्गत इकाई द्वारा जमा की गई वैट की राशि/प्रवेश-कर/जी०एस०टी० की राशि पर कार्यरत एवं नयी औद्योगिक इकाईयों को वाणिज्यकर विभाग द्वारा वैट प्रतिपूर्ति/प्रवेश-कर/जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति देय है। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत उक्त मद में राशि की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य की औद्योगिक इकाईयों को पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर वैट/जी०एस०टी० मद में जमा राशि के अनुसार वाणिज्य-कर विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। इसके लिए आवश्यक निधि उद्योग विभाग द्वारा वित्त- वाणिज्य-कर विभाग को उपलब्ध करायी जाती है।

4. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80- सामान्य, लघु शीर्ष 102-औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0160-प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में पुर्नविनियोग स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-1325, 1326, 1327, 1328 एवं 1329 दिनांक-24.03.18 द्वारा क्रमशः 4,53,000,00.00 + 67,16,000.00 + 18,50,000.00 + 8,33,09,000.00 + 12,78,75,000.00 = ₹26,50,50,000.00 (छब्बीस करोड पचास लाख पचास हजार) मात्र से प्राप्त उपबंध से विकलीत होगा।

5. वैट/प्रवेश कर एवं जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति के लिए उद्योग विभाग द्वारा आवेदन ऑनलाईन मंगाया जायेगा। विभाग इसकी जाँच कर सूची वाणिज्य कर विभाग को उपलब्ध करायेगी। उसी सूची के आलोक में वाणिज्य कर विभाग द्वारा जाँचोपरान्त वैट/प्रवेश कर एवं जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

6. वैट की प्रतिपूर्ति/प्रवेश कर/जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृत राशि का आवंटन वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, बिहार, पटना को की जायेगी जो इसे आवश्यकतानुसार अधीनस्थ अंचलों को उद्योग विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची के आलोक में उप आवंटित करेंगे।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी जिला के वाणिज्य-कर अंचल प्रभारी, वाणिज्य-कर विभाग होंगे जो वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आवंटन के आधार पर संबंधित जिला कोषागार से राशि की निकासी करेंगे। राशि की निकासी वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक बिक्री-कर/संशोधन -05/2006- /88/CCI पटना, दिनांक 21.09.2007 में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा। राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक 8244 दिनांक 02.08.10 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः पृष्ठ-02...

8. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक-4263 वि० दिनांक-20.09.2014 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुरूप की जाएगी।
9. इस योजना अंतर्गत वैट/प्रवेश कर/जी०एस०टी० की जमा राशि की प्रतिपूर्ति के लिए योजना के मुख्य नियंत्री एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना होंगे।
10. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या-03/उ०नि०/योजना (औ०प्रो०नीति) -02/2015 के पृष्ठ 478.../टि० पर प्राप्त है।
11. उक्त स्वीकृत राशि योजना उद्ध्यय के अंतर्गत है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार से राशि की निकासी के लिए विपत्र कोड का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे।
12. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या:-7355/वि०(2), दिनांक: 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह०/-

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-.....

ज्ञापांक:-...../

03/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति), -02/2015

प्रतिलिपि-सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-.....

ज्ञापांक:-...../

03/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति), -02/2015

प्रतिलिपि:-सभी जिला के वाणिज्य-कर अंचल प्रभारी, वाणिज्य-कर विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-.....

ज्ञापांक:-...../

03/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति), -02/2015

प्रतिलिपि:- वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-.....

ज्ञापांक:-...../

03/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति), -02/2015

प्रतिलिपि:- उद्योग निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 1281/

पटना, दिनांक- 26.03.18

03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति) -02/2015

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ आय-व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, तक0, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार/प्रशाखा पदाधिकारी-1 (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग निदेशालय/प्रशाखा-2 (उ0नि0), उद्योग निदेशालय/प्रभारी उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग/प्रशाखा-1 (सरकार) योजना शाखा को तीन अतिरिक्त प्रतियों एवं प्रशाखा-3 उद्योग निदेशालय को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।